8. ब्राडा के निर्धारित प्रावधान/प्रकिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि की निका[सी] जायेगी।

9. कार्यपालक अभियंता (PIU) का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टिताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित करा कर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्ण ... होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे।

10. वित विभाग के संकल्प संख्या--3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निदेशों का अक्षरशः ... किया जायेगा तथा बिहार वित नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में उपबंधित ... उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।

11. यह आदेश आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आंत[रिक] वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0- मु0 अ0-4 (मु0) रा0 यो0 03-113/2020 के सं0- 9 /टि0 पर दिनांक 25.8.2020 को प्राप्त है।

12. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में ...

13. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनि[श्चित] किया जायेगा।

14. योजना के कार्यान्वयन के कम में इनका निर्धारित निरीक्षण सरकार से निर्गत आदेशों में प्राव[धानित] सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा एवं कार्य ... ससमय तथा गुणवतापूर्वक संपन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन ... अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जायेंगे।

15. वित विभाग के पत्रांक-770, दिनांक 20.09.11 के द्वारा सूचित किया गया है कि RIDF ... अन्तर्गत नई परियोजनाओं की प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही स्वीकृति हेतु ... को भेजी जाये।

विश्वासभाजन

28/8/2020

(संजय दूबे)
अपर सचिव

ज्ञापांक- मु0 अ0-4 (मु0) रा0 यो0-03-113/2020 - 3034 /पटना, दिनांक-31/8/20..

प्रतिलिपि- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/8/2020
अपर सचिव

ज्ञापांक- मु0 अ0-4 (मु0) रा0 यो0-03-113/2020 - 3034 /पटना, दिनांक-31/8/20..

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/8/2020
अपर सचिव

ज्ञापांक- मु0 अ0-4 (मु0) रा0 यो0-03-113/2020 - 3043 /पटना, दिनांक-31/8/20..

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिला पदाधिकारी, भोजपुर/उप विकास आयुक्त भोजपुर/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सचिव सह इम्पावर्ड ऑफिसर ब्राडा/मुख्य अभियंता-1, पटना ग्रा0 का0 वि0/मु0 अ0-4 (मुख्यालय) ग्रा0 का0 वि0/अधीक्षण अभियंता, ग्रा0 का0 वि0, कार्य अंचल, आरा/कार्यपालक अभियंता, ग्रा0 का0 वि0 कार्य प्रमंडल, जगदीशपुर/मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड; बिहार क्षेत्रीय कार्यालय (मौर्या कम्पलेक्स पाँचवीं मंजिल) डाक बंगला रोड, पटना, आई0 टी0 मैनेजर, ग्रा0 का0 वि0 को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/8/2020
अपर सचिव

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक– मु0 अ0–4 (मु0) रा0 यो0–03–113 / 2020 - 3034 / पटना, दिनांक– 31/8/2020

प्रेषक,

संजय दूबे भा0 प्र0 से0
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषयः– **योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–103–ग्राम विकास–राज्य योजना–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड सम्पोषित योजना) उपशीर्ष के अन्तर्गत राज्य के भोजपुर जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, जगदीशपुर के अंतर्गत जगदीशपुर प्रखंड के ग्राम ज्ञानपुरा में शहिद चंदन कुमार के घर से शहिद चंदन कुमार अंत्येष्टि स्थान तक पथ का निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई 0.420 कि0 मी0 निर्माण हेतु रू0 28.595 लाख (अठाइस लाख उनसठ हजार पॉच सौ रूपये लाख)** की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महाशय,

निदेशानुसार योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–103–ग्राम विकास–राज्य योजना–उप शीर्ष–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड सम्पोषित योजना) उप शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में बिहार राज्य के **भोजपुर जिलान्तर्गत** कार्य प्रमंडल, **जगदीशपुर के अंतर्गत जगदीशपुर प्रखंड** के ग्राम ज्ञानपुरा में **शहिद चंदन कुमार** के घर से **शहिद चंदन कुमार अंत्येष्टि स्थान** तक पथ का **निर्माण** कार्य जिसकी लम्बाई 0.420 कि0 मी0 **निर्माण हेतु रू0 28.595 लाख (अठाइस लाख उनसठ हजार पॉच सौ रूपये लाख)** मात्र की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

1. कार्यपालक अभियंता के ज्ञापांक 275 दिनांक 08.03.2019 से पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना सं01725 (s) दिनांक 18.02.2019 के आलोक में लोक निर्माण संहिता भाग–I (1958) के नियम 159 'क' के प्रतिस्थापन उपनियम (III) के प्रावधानों के अधीन पथ निर्माण कराए जाने का प्रस्ताव मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग पटना से किया गया है। पथ निर्माण विभाग की संबंधित अधिसूचना के आलोक में इस राशि हेतु सक्षम प्राधिकार मुख्य अभियंता से अनुमोदन प्राप्त कर विभागीय रूप से कार्य संपादित किया जाएगा। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जगदीशपुर द्वारा इस योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। योजना के क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायगी। पथ निर्माण विभाग के उक्त अधिसूचना के उल्लेखित परियोजन का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. इस योजना का व्यय योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–103–ग्राम विकास–राज्य योजना–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)–उपशीर्ष जिसका विपत्र कोड– 37–4515001030105 है, के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
3. योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय–103–ग्राम विकास–राज्य योजना–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना) उपशीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में 300.00 करोड़ रुपये का बजट उपबंध स्वीकृत है।
4. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के पांच तारीख तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, आरा एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।
5. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जगदीशपुर यह सुनिश्चित करेंगे कि यह योजना किसी अन्य योजना शीर्ष अंतर्गत स्वीकृत नहीं है।
6. इस योजना का चयन माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संचिका सं0– मु0 अ0 4 (मु0) रा0 यो0–03–113 / 2020 के पृ0 सं0–03 / टि0 पर दिनांक 07.07.2020 को किया गया।
7. इस योजना के स्वीकृति सक्षम प्राधिकार सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संचिका सं0– मु0 अ0–4 (मु0) रा0 यो0 03–113 / 2020 के पृ0 सं0–06 / टि0 पर प्राप्त है।